12/12/2022 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्ष उपस्थित। विभाजन प्रस्ताव पत्रावली पर प्राप्त हो चुका है। वकील वादी ने अनुरोध किया कि मेरा दावा बटवारे का है जिसमें पूर्व में प्राथमिक डिक्री जारी हुई है। तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा विधिवत विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव प्रस्तावित किया है। विभाजन प्रस्ताव कब्जा काश्त अनुसार तैयार किया गया है। अतः विभाजन प्रस्ताव अनुसार दावा एफ.डी कर दिया जावें। वकील प्रतिवादीगण ने भी विभाजन प्रस्ताव अनुसार दावा एफ.डी किये जाने पर सहमति दर्ज की। वकुलाय उभय पक्षों को सुनने व पत्रावली एवं विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन करने के पश्चात पाया गया कि प्राथमिक डिक्री दिनांक 16.09.2022 की अनुपालना में तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा पक्षकारान/ खातेदारान के मध्य पूर्व में किये गये बाह्मी बटवारे के अनुसार मौके पर कब्जा काश्त अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाकर प्रस्तावित किया गया है। जिससे उभय पक्ष भी सहमत है। अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के अन्तिम रूप से डिक्री किया जाना उचित समझते है।

FD हेतु Steno
[signature]
[signature] Singh

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार नीमकाथाना के पत्रांक भू. अ./2022/6924 दिनांक 23.11.2022 द्वारा प्रस्तावितानुसार अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है तथा वादीगण व प्रतिवादीगण को मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के पृथक–पृथक काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा डिक्री का भाग समझा जावें। तद्वानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु पर्चा डिर्क्री मुर्तीव हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

[signature]

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)